तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./256 /2023 / अलवर दयारानी बनाम राधेश्याम दोहित्रा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ

डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री सी0पी0 पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी

श्री रेखा गोयल, अभिभाषक अप्रार्थीगण (कैवियटकर्ता)

आदेश

दिनांकः–24.01.2023

हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालखेडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वाद के साथ प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि वर्तमान अप्रार्थी सं0 1 वृद्ध है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर आराजी को बेचान करने पर आमादा है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 1 को विवादित आराजी रहन बय व अन्य किसी तरह से मुंतकिल न करने हेतु पाबंद किया जावे । तहत न्यायालय ने दिनांक 29.03.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 1 राधेश्याम द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मियाद बाहर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को दिनांक 17–10–2022 को अपीलीय न्यायालय द्वारा सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज करते हुए अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश हेतु दिनांक 19.10.2022 नियत की और दिनांक 01.11.2022 को स्थगन पर कोई आदेश देने से पूर्व रेस्पो0 को तलब करना एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब करने के आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात् दिनांक 22.11.2022 को पुनः अपील को सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 के प्रचलन को स्थगित किया जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3–उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति दिनांक 18.01.23 एवं निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./256 /2023 / अलवर दयारानी बनाम राधेश्याम दोहित्रा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पर बहस सुनी गई। 4— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निगरानी विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो कि एक अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय मे मेन्टेनेबल योग्य नही होने से इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। अगर प्रार्थीया को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से कोई आपत्ति थी तो उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष ही उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिये थी। धारा 212 आरटीएक्ट का आवेदन पत्र भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे । अपनी कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा RRT 2015 (2) Pg. 1106, RRT 2016 (2) Pg. 1144, RRT 2018 (1) Pg. 692, RRT 2016 (2) Pg. 1323, RRT 2016 (2) Pg. 248, RBJ 2014 Pg. 532, RBJ 2016 Pg. 95, DNJ 2014 (1) Raj. Pg. 35 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गऐ। 5— प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अप्रार्थी के प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नकारते हुये तर्क किया कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 न्याय नियम रिकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दरूपयोग करते हुये निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक द्वारा आदेश 41 नियम 3 ए सी0 पी0 सी0 का हवाला भी दिया गया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश है जो न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। उनका आगे कथन है की विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह पक्षकारों के बीच वाद की बाहुल्यता को रोके एवं पक्षकारों के बीच लड़ाई झगड़ा न हो एवं वाद की विषय वस्तु खुर्दबुर्द न हो। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के पूर्णतः प्रतिकूल है। चूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत समस्त हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है । अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थिया ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:— RBJ 2006 Pg 78, RRT 2013 (1) Pg 125, RRT 2017 (2) Pg 787, RRT 2017 (2) Pg 1382, RRT 2017 (2) Pg 1330, RRT 2015 (1) Pg 690, RRT 2013 (1) Pg 546, RRT 2018	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./256 /2023 / अलवर दयारानी बनाम राधेश्याम दोहित्रा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

(2) Pg 1154, RRT 2017 (2) Pg 922, RRT 2016 (2) Pg 1084, RRT 2018(1) Pg 548, RRT 2020 (2) Pg 938, RRT 2013 (2) Pg 1197, RBJ 2014 Pg 204.

बहस में आगे कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतया अनदेखी की है। अपीलीय न्यायालय को समस्त पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसमें प्रत्येक सह खातेदार के बराबर हक व अधिकार है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करतें हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की थी कि आगामी पेशी तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखी जावे और इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब व पक्ष प्रस्तुत करें। उक्त आदेश में ऐसी कोई विधिक अनियमितता नहीं थी। उनका कथन है की अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकारिता का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया है एवं माननीय न्यायालय ने भी अपने अनेकों निर्णयो में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रेकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बाबत् पारित आदेश में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अतः उनका निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति को निरस्त फरमाया जाए।

मैंने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व परिशीलन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया/वादीया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा, जिला अलवर के समक्ष एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के पेश किया था । उक्त वाद के साथ साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात के माकै व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का भी निवेदन किया गया । जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा, जिला अलवर ने दिनांक 29.03.2022 को आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 को आगामी दिनांक 06.05.2022 तक विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए तथा अप्रार्थीगण की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए./256 /2023 / अलवर** **दयारानी बनाम राधेश्याम दोहित्रा वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तलबी की जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 29.03.2022 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने दिनांक 17—10—2022 को प्रकरण दर्ज कर वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुन कर दिनांक 22.11.2022 को प्रकरण में आदेश पारित कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 29.3.2022 का प्रचलन आगामी पेशी दिनांक 03.01. 2023 तक स्थगित किए जाने के आदेश प्रदान किए है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29. 03.2022 के विरूद्ध अपील पेश की गई, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की गई है जो विधिनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से संधारण योग्य नहीं है । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ द्वारा प्रकरण संख्या रिविजन/एलआर/9867/2012/नागौर शीर्षक जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम में निर्णय दिनांक 12.03.2014 पारित किया हुआ है जो आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 409 में प्रकाशित है । आदेश 39 नियम 3—ए जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि—'' जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सुने बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिवस के अन्दर निपटाने का प्रयास करेगा और जंहा वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिये कारण अभिलिखित करेगा।'' ऐसी स्थिति में विपक्षीगण से जबाब प्रार्थना पत्र लेकर उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित करना न्यायोचित होगा। विधिनुसार अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है। अतः हस्तगत निगरानी अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने से खारिज योग्य पायी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। तथापि न्यायहित में प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा राजस्व अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./256 /2023 / अलवर दयारानी बनाम राधेश्याम दोहित्रा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्राधिकारी, अलवर को यह निर्देश दिये जाते है कि वह आदेश 39 नियम 3–ए जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के मध्यनजर वह प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का निस्तारण एक माह में करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	